**भारत सरकार**

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय**

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न सं0 1106**

**दिनांक 27 नवम्‍बर, 2019**

**कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व निधि**

**1106. श्री कामाख्या प्रसाद तासाः**

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान देश में और उत्तर-पूर्वी भारत में सरकारी क्षेत्र के तेल/पेट्रोलियम उपक्रमों ने अपने कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सी॰एस॰आर॰) के तहत कुल कितनी धनराशि खर्च की है;

(ख) विगत पांच वर्षों के दौरान उत्तर-पूर्वी भारत में सरकारी क्षेत्र के तेल/पेट्रोलियम उपक्रमों द्वारा अपने कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत राज्य-वार कुल कितनी धनराशि तथा किन-किन कार्यकलापों पर अलग-अलग कितनी-कितनी धनराशि खर्च की गई;

(ग) सरकारी क्षेत्र के तेल/पेट्रोलियम उपक्रमों द्वारा अपने कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत अपने प्रचालन क्षेत्रों तथा उनके प्रचालनों से बाहर कुल कितनी धनराशि खर्च की गई; और

(घ) क्या प्रचालन क्षेत्र से बाहर कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व निधि‍ खर्च करने पर कोई रोक है और यदि नहीं, तो उनके प्रचालन क्षेत्र और प्रचालन से बाहर के क्षेत्र में व्यय में इतना अंतर क्यों है?

**उत्तर**

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री**

**(श्री धर्मेन्द्र प्रधान)**

(क) और (ख) पिछले पांच वर्षों के दौरान पूर्वोत्‍तर भारत सहित देश में निम्‍नलिखित तेल पीएसयूज द्वारा किया गया सीएसआर व्‍यय निम्‍नानुसार है:

**(**करोड़ रुपए में**)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **तेल पीएसयूज** | **2014-15** | **2015-16** | **2016-17** | **2017-18** | **2018-19** |
| ओएनजीसी | 215.60 | 421.00 | 525.90 | 503.44 | 614.64 |
| बीपीसीएल | 33.95 | 95.59 | 90.98 | 166.02 | 177.94 |
| एचपीसीएल | 34.07 | 71.76 | 108.11 | 156.87 | 159.81 |
| आईओसीएल | 113.80 | 156.70 | 213.99 | 331.05 | 490.60 |
| गेल | 71.90 | 118.64 | 92.16 | 91.65 | 119.29 |
| ईआईएल | 16.81 | 14.10 | 11.00 | 14.74 | 10.04 |
| ओआईएल | 133.31 | 92.21 | 108.37 | 100.58 | 133.39 |
| एनआरएल | 7.52 | 11.48 | 20.50 | 45.60 | 52.46 |
| सीपीसीएल | 1.16 | 2.33 | 1.87 | 9.18 | 18.89 |

उपर्युक्‍त तेल पीएसयूज द्वारा पिछले पांच वर्षों के दौरान पूर्वोत्‍तर भारत में खर्च की गई निधियों के ब्‍यौरे निम्‍नानुसार हैं:

**(**करोड़ रुपए में**)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **तेल पीएसयूज** | **2014-15** | **2015-16** | **2016-17** | **2017-18** | **2018-19** |
| ओएनजीसी | 29.04 | 64.49 | 74.57 | 77.63 | 142.64 |
| बीपीसीएल | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.33 | 5.40 |
| एचसीएल | 1.02 | 0.58 | 0.41 | 1.8 | 2.32 |
| आईओसीएल | 9.56 | 29.21 | 18.35 | 36.00 | 43.81 |
| गेल | 1.97 | 0.57 | 0.82 | 0.85 | 7.91 |
| ईआईएल | 3.91 | 0.82 | 0 | 0.75 | 1.11 |
| ओआईएल | 118.95 | 44.59 | 66.56 | 80.58 | 85.6 |
| एनआरएल | 7.45 | 11.43 | 20.33 | 45.43 | 52.36 |

पिछले पांच वर्षों के दौरान पूर्वोत्‍तर भारत सहित देश में विकास और अन्‍य कार्यों पर खर्च की गई निधियों (राज्‍य-वार) के परियोजना/कार्यकलाप-वार ब्‍यौरे  तेल पीएसयूज की संबंधित वैबसाइट्स पर उपलब्‍ध हैं।

(ग)  वर्ष 2018-19 के दौरान, निम्‍नलिखित तेल पीएसयूज द्वारा अपने प्रचालन क्षेत्र के बाहर सीएसआर निधियों के तहत खर्च की गई निधियों के ब्‍यौरे निम्‍नानुसार हैं :-

**(करोड़ रुपए में)**

|  |  |
| --- | --- |
| **तेल पीएसयूज** | **2018-19** |
| ओएनजीसी | 85.48 |
| बीपीसीएल | 78.98 |
| एचपीसीएल | 31.77 |
| आईओसीएल | 109.80 |
| ईआईएल | 1.25 |
| ओआईएल | 44.70 |
| एनआरएल | 9.64 |
| सीपीसीएल | 0.65 |
|  |  |

 (घ) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 में विनिर्दिष्‍ट किया गया है कि कंपनियां स्‍थानीय क्षेत्र और अपने प्रचालन क्षेत्र के आसपास के क्षेत्रों को प्राथमिकता देंगी। इसके अलावा, सीएसआर व्‍यय के संबंध में डीपीई दिशा-निर्देश 2014 में सलाह दी गई है कि स्‍थानीय क्षेत्र को उचित प्रा‍थमिकता देने के बाद सीपीएसईज देश में कही भी कार्यकलाप कर सकते हैं।

\*\*\*\*